दूरभाष : PBX-2762021, 22, 24
फैक्स नं : 0121-2764777

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME

पत्रांक 104/02/NSS/793
दिनांक 18-Nov-2019

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय / संस्थान
राष्ट्रीय सेवा योजना
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ ।

विषय– वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय सेवा योजना–नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासन के पत्र संख्या–आवं–62 / सत्तर–रा0से0यो0को0–19–21 / 2017 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें कि नीवन महाविद्यालयों / संस्थानों को राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन हेतु निम्नानुसार अनुसार छात्र संख्या आवंटित की जाती है :–

क्र0	महाविद्यलय का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु आवंटन छात्र संख्या	विशेष शिविर हेतु आवंटित छात्र संख्या
1	एम0एल0एण्ड जे0एन0के0 गर्ल्स डिग्री कालिज, सहारनपुर	100	50
2	किसान (पी0जी0) कालिज, सिम्भावली (हापुड़)	200	100
3	संजय गांधी (पी0जी0) कालिज, सरुरपुर खुर्द (मेरठ)	100	50
4	अग्रसैन कालिज, सिकन्द्रबाद (बुलन्दशहर) ।	50	25
5	जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर	200	100
6	वीरेन्द्र सिंह डिग्री कालिज, सालारपुर गंगोह सहारनपुर	100	50
7	डी0ए0वी0 कालिज, बलन्दशहर	100	50
	योग	**850**	**425**

1. उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामाकंन सुनिश्चित किया जायेगा । प्रारूप निम्नवत

पुरुष						महिला					
क्र0 संख्या	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग	क्र0 संख्या	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग

2. विशेष शिविरों के आयोजन की सूचनाएं शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में सम्बन्धित संस्थान को इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा ।

3. भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाईयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई–मेल के माध्यम से राष्टीय सेवा योजना प्रकोष्ठ उ0 प्र0 शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्टीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है ।

4. इकाईयों की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए विशेष शिविरों के आयोजन के 15 दिन के अन्दर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट उक्त विश्वविद्यालय में राष्टीय सेवा योजना, विभाग को प्रेषित करना अनिवार्य है जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 2 पृष्ठ (7X2) =14 पृष्ठ, प्रत्येक दिन की कम से कम 4 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ, X 7) एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यो की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित) संलग्न होनी चाहिये । रिपोर्ट की हार्ड कॉपी कार्यक्रम समन्चयक को सॉफ़्ट कॉपी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दोनों को प्रेषित करें ।

5. वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवंटित छात्र संख्या के सापेक्ष धनराशि का भुगतान पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमैन्ट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से ही किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना सम्बन्धित जिन महाविद्यालयों का पंजीकरण पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमैन्ट सिस्टम (PFMS) के अर्न्तत नहीं है यदि उनका पंजीकरण पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमैन्ट सिस्टम (PFMS) में विश्वविद्यालय/मण्डल के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर नहीं करा लिया जाता है तो उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

6. उक्त छात्र संख्या आवंटन उपरोक्त सभी महाविद्यालयों को इस आशय से प्रेषित कि वह तत्काल पंजीकरण कराकर, पंजीकरण से सम्बन्धित सभी पत्राजात राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें ।

7. जिन महाविद्यालयों को राष्ट्रीय सेवा योजना के पंजीकरण/नामांकन संख्या बनाने (Creat) करने में दिक्कतें आ रही हो वह कार्यालय में सम्पर्क कर समस्या का समाधान कर सकते है परन्तु गलत पंजीकरण/नामांकन की सूची व प्रमाण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

8. साथ ही अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण पत्रों पर कार्यक्रम अधिकारी व प्राचार्य के वास्तविक हस्ताक्षर होने अनिवार्य है । स्टेम्प/मोहर/सील पर बने हस्ताक्षर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे ।

9. यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण पत्रों पर सम्बन्धित इकाई के ही कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिये अन्य के नहीं ।

भवदीय

(डा0 वीरेन्द्र सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ